कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून :दिनांक–29 जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड शासन चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1 संख्या–2922परिवार उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री शिवशंकर	सामु0स्वा0केन्द्र कीर्तिनगर टिहरी	जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित अधिकारी को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 12144 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी/रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून :दिनांक–२१, जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री आर0के0 सेंगर	उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर, पौडी	जिला चिकित्सालय हरिद्वार	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 2146 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी/हरिद्वार उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय हरिद्वार उत्तराखण्ड।
5. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर पौडी उत्तराखण्ड।
6. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी/हरिद्वार उत्तराखण्ड।
7. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
8. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, राहरक्षारा रोड़ देहरादून।

ई:–मेल dghealth.Uttarakhand@gmail.com, दूरभाष 0135-2608763,फैक्स 0135-2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून दिनांक– 27 जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती भारती	सामु0स्वा0केन्द्र, प्रतापनगर टिहरी	सामु0स्वा0केन्द्र चम्बा टिहरी	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026/21248 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक (दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून :दिनांक–२९ जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अनुप सिंह	सामु0स्वा0केन्द्र ज्वालापुर हरिद्वार	प्रा0स्वा0केन्द्र ऊखीमठ रूद्रप्रयाग	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026/2150 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढ़वाल मण्डल पौड़ी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, हरिद्वार/रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार/रूद्रप्रयाग उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक (दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/ देहरादून :दिनांक–29, जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अमित चमोली	जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग	सामु0स्वा0केन्द्र मदननेगी टिहरी	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026/21252 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग/टिहरी उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com, दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून :दिनांक–01, जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्रावधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मुकेश सिंह	सामु0स्वा0केन्द्र, थलीसैण पौडी	सामु0स्वा0केन्द्र, पावॉ पौडी	निजी अनुरोध

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 /21256 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौड़ी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौडी गढवाल उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/ देहरादून :दिनांक–21, जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री अविशेक कुमार	सामु0स्वा0केन्द्र कोटबाग नैनीताल	बेस चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 /21257 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्डल नैनीताल उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल उत्तराखण्ड।
4. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com, दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून :दिनांक–21, जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

क्रमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री रंजन अग्रवाल	सामु0स्वा0केन्द्र चकराता देहरादून	सामु0स्वा0केन्द्र प्रेमनगर देहरादून	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 /21259 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/ देहरादून :दिनांक–२९ जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री प्रकाश डोभाल	सामु0स्वा0केन्द्र चम्बा टिहरी	जिला चिकत्सालय बौराडी टिहरी	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 /21262 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, टिहरी गढवाल उत्तराखण्ड।
4. प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बौराडी टिहरी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, टिहरी उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/ देहरादून :दिनांक–29 जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री राजेश प्रसाद	सामु0स्वा0केन्द्र, बैजनाथ बागेश्वर	सामु0स्वा0केन्द्र बहादराबाद हरिद्वार	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 /21262 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बागेश्वर/हरिद्वार उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागेश्वर/हरिद्वार उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प / रा0पु0 / डे0हाई0 / 23 / 2026 /

देहरादून :दिनांक– 21 जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज सिंह	सामु0स्वा0केन्द्र घाट चमोली	सामु0स्वा0केन्द्र लक्सर हरिद्वार	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त / ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष / अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प / रा0पु0 / डे0हाई0 / 23 / 2026 / 21265 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली / हरिद्वार उत्तराखण्ड।
4. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, चमोली / हरिद्वार उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून :दिनांक–१९ जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री मनोज कुमार जोशी	उप जिला चिकित्सालय टनकपुर चम्पावत	सामु0स्वा0केन्द्र कोटाबाग नैनीताल	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 | 21267 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी/कुमाऊं मण्डल नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चम्पावत/नैनीताल उत्तराखण्ड।
4. चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय टनकपुर चम्पावत उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, चम्पावत/नैनीताल उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड

ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/ देहरादून :दिनांक–29 जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

कमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री तरूण कुमार	सामु0स्वा0केन्द्र भवाली नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र सोमेश्वर, अल्मोडा	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026/21269 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, कुमाऊं मण्ड़ल नैनीताल।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नैनीताल/अल्मोडा उत्तराखण्ड।
4. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल/अल्मोड़ा उत्तराखण्ड।
5. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
6. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
7. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
ग्राम डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।
ई:–मेल dghealth. Uttarakhand @ gmail.com , दूरभाष 0135–2608763,फैक्स 0135–2608746

पत्रांक–2प/रा0पु0/डे0हाई0/23 /2026/

देहरादून :दिनांक– 29 जून, 2026

–:आदेश:–

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश दिनांक–06 अप्रैल, 2026 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2026–27 हेतु महानिदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा किये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजीनिस्ट संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या–03 से कॉलम संख्या–04 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थल पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित कर तैनात किया जाता है।

क्रमांक	डेन्टल हाईजीनिस्ट का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्रीमती सुधा पंवार	उप जिला चिकित्सालय, प्रेमनगर, देहरादून	सामु0स्वा0केन्द्र, चकराता देहरादून	जनहित

1. सम्बन्धित कार्मिक को 01 सप्ताह के भीतर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुये प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तद्नुसार प्रविष्टि करते हुये उनके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
2. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरूद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरूद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली–2002 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
3. निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नही होगा।
4. उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात का वेतन सम्बन्धित अधिकारी की नवीन तैनाती स्थान से आहरित किया जाये।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक

पत्रांक–2प/ रा0पु0/डे0हाई0/23/2026 12127 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण, गढवाल मण्डल पौडी उत्तराखण्ड।
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
4. चिकित्सा अधीक्षक, उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर देहरादून उत्तराखण्ड।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
6. सम्बन्धित कार्मिक, द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
7. आई0टी0 सेल, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

(के0एस0 नेगी)
अपर निदेशक(दन्त)